प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक-30.10.2026

◆ अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी एएचटी की अध्यक्षता में बाल संरक्षण विषय पर "आप-बीती" जिला स्तरीय समीक्षा बैठक/गोष्ठी आयोजित

◆ बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम और बाल श्रम उन्मूलन अभियान में प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

◆ समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

आज दिनांक-30.10.2026 को श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में तथा श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी एएचटी की अध्यक्षता में पुलिस लाईन ज्ञानपुर सभागार में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के संबंध में "आप-बीती: बाल संरक्षण पर जिला स्तरीय संवाद" गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस बैठक के दौरान जनपद में चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों तथा बेसहारा व असहाय बच्चों के लिए संचालित विशेष अभियान "ऑपरेशन नया जीवन" की गहन समीक्षा की गई। गोष्ठी के दौरान वर्ष 2026 के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट व गुमशुदा बच्चों के संबंध में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा की गई। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल भिक्षा वृत्ति की रोकथाम तथा बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों पर मानव तस्करी एवं बाल श्रम के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही अभियान के तहत होटल, ढाबा व अन्य व्यवसायिक स्थलों पर सघन चेकिंग कर बाल श्रम को कड़ाई से रोकने संबंधी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान विभिन्न एनजीओ के अधिकारी/कर्मचारीगण, थाना प्रभारी एएचटी व समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी व महिला आरक्षी मौजूद रहे।

मीटिंग में उपस्थित विभाग/अधिकारीगण

1-किशोर न्याय बोर्ड, जनपद भदोही ।

2- प्रभारी AHT थाना, जनपद भदोही ।

3- जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जनपद भदोही ।

4- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जनपद भदोही ।

5- प्रभारी चाईल्ड लाईन/चाइल्ड हेल्पलाइन, जनपद भदोही ।

6-जिला बाल संरक्षण इकाई, जनपद भदोही

7-सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद भदोही ।

8-जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद भदोही

9-समाज कल्याण अधिकारी, जनपद भदोही।

एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।